



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 05/04/2023

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(संजय शुक्ला)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर/ नवा रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-900/ 874

रायपुर, दिनांक 05/04/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

नवा रायपुर

विषय:- राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

— **पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Other/ 145285/ 2021**

संदर्भ: 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक / व.प्रा./ प्रबंध-549/ 2288 दिनांक 13.06.2022
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)/ व.प्रा./ तक अधि/ 501 दिनांक 28.02.2023

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित प्रपत्र-4 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 (पुराना रा.रा.मार्ग-221) जगदलपुर-सुकमा-कोंटा मार्ग का उन्नयन कार्य के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) - आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2) - निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक - FP/CG/Other/ 145285/ 2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.01.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18,000 रुपये कुल 24,000 रुपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 03) - कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 04) - प्रस्तावित क्षेत्र में गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 05 से 06) - प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 07 से 08) - वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 09 से 24) – प्रपत्र – 4 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. वन भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 15.99 करोड़ रु. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.7 से अधिक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 25) – कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु चयन किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के कि.मी. 25.530 से 31.540 कुल लंबाई 6.010 कि.मी. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत विद्यमान मार्ग की चौड़ाई बी.टी. 3.00 मी है। आवागमन के समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। विद्यमान मार्ग को उन्नयन एवं चौड़ीकरण करने से आवागमन की सुविधा होगी।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 26) – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सुकमा छत्तीसगढ़ द्वारा जिला बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण जगदलपुर – सुकमा – कोंटा मार्ग के कि.मी. 25.530 से 31.540 कुल 6.010 कि.मी. निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अंतर्गत आरक्षित वन भूमि के कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206, कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991, कक्ष क्रमांक 165 रकबा 1.990 इस प्रकार कुल रकबा 8.386 हे. आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 8.386 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्तें लागू की जावेगी वह मान्य होगा।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 27) – प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य वन भूमि की मांग न्यूनतम है। तदाशय का निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28) – प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 29 से 43) – आवेदित क्षेत्र में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर अंतर्गत 250 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनीफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 44) – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 45 तक) – प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 46) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 47 – 67 तक) – आवेदित वन भूमि 8.386 हे. के एवज में चित्रकोट परिक्षेत्र के नारंगी वनखण्ड चालकीपारा के 16.772 हे. नारंगी वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 68 एवं 69) – आवेदित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. के एवज में दुगुने क्षेत्र रकबा 16.772 हे. वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य हेतु निदेशक कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर द्वारा हस्ताक्षरित वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 70) – निदेशक कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 71) – निदेशक कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 72) – निदेशक कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 73) – कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्मथन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु गैर राजस्व वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाराय का निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 74) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिकलेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 75) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिकलेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 76) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 77) – प्रकरण में किसी को भी उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 78 से 98) – प्रपत्र-3 पर सहायक वन संरक्षक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर द्वारा दिनांक 16.05.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। सहायक वन संरक्षक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एवं निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के अनुशंसा के आधार पर भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन), एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर द्वारा दिनांक 31.05.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

- बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 99) —** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 100–102 तक) —** कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. कक्ष क्रमांक 164 में से रकबा 1.991 एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु सरपंच ग्राम पंचायत कामानार एवं फोटमसार का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 103) —** बस्तर जिले की कुल वन भूमि 2211.807 वर्ग कि.मी. है।
- बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 104) —** बस्तर जिले अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण स्वीकृति नहीं की गई है।
- बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 105) —** बस्तर वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है।
- बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 106) —** कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है। तदनुसार का निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।
- बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 107) —** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 108से 118 तक) —** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर बस्तर द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र 03.03.2022 को जारी किया गया है।
- बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 119–121) —** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से कलेक्टर, जिला बस्तर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 122 से 123 तक) —** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 124 से 125) —** प्रभावित भूमि के बदले आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि को कैम्पा खाते में जमा की जावेगी। निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 126) —** कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206 कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991 हे. एवं कक्ष क्रमांक 165 में रकबा 1.990 हे. कुल योग रकबा 8.386 हे. राष्ट्रीय

राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु आवेदित वन क्षेत्र में भूमि की दशा प्रायः रेतीली, मूमी, एवं पथरीली है जो प्राकृतिक (GEO-ECOLOGICAL) कारणों से है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 127) – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र निदेशक कांग्रेस घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर एवं आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 128) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 129) – बिन्दु क्रमांक -2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 130) – आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 131) – लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 132) – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-900/ 875
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 05/04/2023

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर।
4. संचालक, कांग्रेस घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर।
5. कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सुकमा, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़